रजिस्ट्री सं० डी० एल०-३३/३१

REGISTERED No. D. 33/3

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 1

PART II—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 18] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 1967/ वैशाख 15, 1889

No. 18] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 1967/VAISAKHA 15, 1889

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF LAW

(Legislative Department)

New Delhi, the 5th May, 1967/Vaisakha 15, 1889 (Saka)

THE PASSPORTS ORDINANCE, 1967

No. 4 OF 1967

Promulgated by the President in the Eighteenth Year of the Republic of India.

An Ordinance to provide for the issue of passports and travel documents, to regulate the departure from India of citizens of India and other persons and for matters incidental or ancillary thereto.

WHEREAS Parliament is not in session and the President is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action;

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 123 of the Constitution, the President is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title, extent and commencement.

1. (1) This Ordinance may be called the Passports Ordinance, 1967.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force at once.

Definitions.

2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires,—

(a) "departure", with its grammatical variations and cognate expressions, means departure from India by water, land or air;

(b) "passport" means a passport issued under this Ordinance.

Explanation.—For the purposes of section 3, "passport" includes a passport which having been issued by or under the authority of the Government of a foreign country satisfies the conditions prescribed under the Passport (Entry into India) Act, 1920, in respect of the class of passports to which it belongs; 34 of 1920.

(c) "passport authority" means an officer or authority empowered under rules made under this Ordinance to issue passports or travel documents and includes the Central Government;

(d) "prescribed" means prescribed by rules made under this Ordinance;

(e) "travel document" means a certificate referred to in sub-section (2) of section 4.

Explanation.—For the purposes of section 3, "travel document" includes a certificate which being issued by or under the authority of the Government of a foreign country satisfies the conditions prescribed.

Passport or travel document for departure from India.

3. No person shall depart from, or attempt to depart from, India unless he holds in this behalf a passport or travel document.

Classes of passports and travel documents.

4. (1) The following classes of passports may be issued under this Ordinance, namely:—

(a) ordinary passport;

(b) official passport;

(c) diplomatic passport.

(2) The following classes of travel documents may be issued under this Ordinance, namely:—

(a) emergency certificate authorising a person to enter India;

(b) certificate of identity for the purpose of establishing the identity of a person;

(c) such other certificate as may be prescribed.

(3) The Central Government shall, in consonance with the usage and practice followed by it in this behalf, prescribe the classes of persons to whom the classes of passports and travel documents referred to respectively in sub-section (1) and sub-section (2) may be issued under this Ordinance.

Issue of passports and travel documents.

5. (1) An application for the issue of a passport or a travel document under this Ordinance, or for an endorsement on such passport or travel document, for visiting such foreign country or countries (as may be specified in the application may be made to the passport authority and shall be in such form, contain such particulars and be accompanied by such fee (if any) not exceeding rupees twenty-five as may be prescribed.

(2) On receipt of an application, the passport authority, after making such inquiry, if any, as it may consider necessary, shall subject to the other provisions of this Ordinance, by order in writing,—

(a) issue the passport or travel document with endorsement, or, as the case may be, make on the passport or travel document the endorsement, in respect of the foreign country or countries specified in the application; or

(b) issue the passport or travel document with endorsement, or, as the case may be, make on the passport or travel document the endorsement, in respect of one or more of the foreign countries specified in the application and refuse to make an endorsement in respect of the other country or countries; or

(c) refuse to issue the passport or travel document.

(3) Where the passport authority makes an order under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) on the application of any person, it shall record in writing a brief statement of its reasons for making such order and furnish to that person on demand a copy of the same unless in any case the passport authority is of the opinion that it will not be in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of India, friendly relations of India with any foreign State or in the interests of the general public to furnish such copy.

Refusal of passports, travel documents, etc.

6. (1) Subject to the other provisions of this Ordinance, the passport authority shall refuse to make an endorsement for visiting any foreign country under clause (b) of sub-section (2) of section 5 on any one or more of the following grounds, and on no other ground, namely :—

(a) that the applicant may, or is likely to, engage in such country in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

(b) that the presence of the applicant in such country may, or is likely to, be detrimental to the security of India;

(c) that the presence of the applicant in such country may, or is likely to, prejudice the friendly relations of India with any foreign State;

(d) that in the opinion of the Central Government the presence of the applicant in such country is not in the public interest.

(2) Subject to the other provisions of this Ordinance, the passport authority shall refuse to issue a passport or travel document for visiting any foreign country under clause (c) of sub-section (2) of section 5 on any one or more of the following grounds, and on no other ground, namely :—

(a) that the applicant is not a citizen of India;

(b) that the applicant may, or is likely to, engage outside India in activities prejudicial to the sovereignty and integrity of India;

(c) that the departure of the applicant from India may, or is likely to, be detrimental to the security of India;

(d) that the presence of the applicant outside India may, or is likely to, prejudice the friendly relations of India with any foreign State;

(e) that the applicant has, at any time during the period of five years immediately preceding the date of his application, been convicted by a court in India for any offence and sentenced to imprisonment for not less than two years;

(f) that proceedings in respect of an offence alleged to have been committed by the applicant are pending before a criminal court in India;

(g) that the applicant has no adequate means of supporting himself outside India consistently with his dignity and self-respect as a citizen of India;

(h) that the applicant has been repatriated and has not reimbursed the expenditure incurred in connection with such repatriation;

(i) that in the opinion of the Central Government the issue of a passport to the applicant will not be in the public interest.

Duration of passports and travel documents.

7. A passport or travel document issued under section 5 shall, unless revoked earlier, continue in force for such period as may be prescribed and different periods may be prescribed for different classes of passports and travel documents:

Provided that a passport or a travel document may be issued for a shorter period than the prescribed period—

(a) if the person by whom it is required so desires; or

(b) if the passport authority, for reasons to be communicated in writing to the applicant, considers in any case that the passport or travel document should be issued for a shorter period.

Renewal of passports.

8. Every passport shall, unless the passport authority for reasons to be recorded in writing otherwise determines in any case, be renewable for the same period for which the passport was originally issued and shall be so renewable from time to time and the provisions of this Ordinance (including the provisions as to fees) shall apply to the renewal of a passport as they apply to the issue thereof.

Conditions and forms of passports and travel documents.

9. The conditions subject to which, and the form in which, a passport or travel document shall be issued or renewed shall be such as may be prescribed:

Provided that different conditions and different forms may be prescribed for different classes of passports or travel documents:

Provided further that a passport or travel document may contain in addition to the prescribed conditions such other conditions as the passport authority may, with the previous approval of the Central Government, impose in any particular case.

Variation, impounding and revocation of passports and travel documents.

10. (1) The passport authority may vary or cancel the endorsements on a passport or travel document or with the previous approval of the Central Government vary or cancel the conditions (other than the prescribed conditions) subject to which a passport or travel document has been issued and may, for that purpose, require the holder of a passport or a travel document, by notice in writing, to deliver up the passport or travel document to it within such time as may be specified in the notice.

(2) The passport authority may, on the application of the holder of a passport or a travel document, also vary or cancel the conditions (other than the prescribed conditions) of the passport or travel document.

(3) The passport authority may impound or cause to be impounded or revoke a passport or a travel document,—

(*a*) if the passport authority is satisfied that the holder of the passport or travel document is in wrongful possession thereof;

(*b*) if the passport or travel document was obtained by the suppression of materiel information or on the basis of wrong information provided by the holder of the passport or travel document or any other person on his behalf;

(*c*) if the passport authority deems it necessary so to do in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of India, friendly relations of India with any foreign State, or in the interests of the general public;

(*d*) if any of the conditions of the passport or travel document has been contravened;

(*e*) if the holder of the passport or travel document has failed to comply with a notice under sub-section (*1*) requiring him to deliver up the same;

(*f*) if it is brought to the notice of the passport authority that a warrant or summons for the appearance, or a warrant for the arrest, of the holder of the passport or travel document has been issued by a court under any law for the time being in force or if an order prohibiting the departure from India of the holder of the passport or other travel document has been made by any such court and the passport authority is satisfied that a warrant or summons has been so issued or an order has been so made.

(*4*) The passport authority may also revoke a passport or travel document on the application of the holder thereof.

(5) Where the passport authority makes an order varying or cancelling the endorsements on, or varying the conditions of, a passport or travel document under sub-section (*1*) or an order impounding or revoking a passport under sub-section (3), it shall record in writing a brief statement of the reasons for making such order and furnish to the holder of the passport or travel document on demand a copy of the same unless in any case, the passport authority is of the opinion that it will not be in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of India, friendly relations of India with any foreign State or in the interests of the general public to furnish such a copy.

(6) The authority to whom the passport authority is subordinate may, by order in writing, impound or cause to be impounded or revoke a passport or a travel document on any ground on which it may be impounded or revoked by the passport authority and the foregoing provisions of this section shall, as far as may be, apply in relation to the impounding or revocation of passport or travel document by such authority.

(7) A court convicting the holder of passport or travel document of any offence under this Ordinance or the rules made thereunder may also revoke the passport or travel document:

Provided that if the conviction is set aside on appeal or otherwise the revocation shall become void.

(8) An order of revocation under sub-section (7) may also be made by an appellate court or by the High Court when exercising its powers of revision.

(9) On the revocation of a passport or a travel document under this section the holder thereof shall, without delay, surrender the passport or travel document, if the same has not already been impounded, to the authority by whom it has been revoked or to such other authority as may be specified in this behalf in the order of revocation.

Appeals.

11. (1) Any person aggrieved by an order of the passport authority under clause (b) or clause (c) of sub-section (2) of section 5 or clause (b) of the proviso to section 7 or sub-section (1) or sub-section (3) of section 10 or by an order under sub-section (6) of section 10 of the authority to whom the passport authority is subordinate, may prefer an appeal against that order to such authority (hereinafter referred to as the appellate authority) and within such period as may be prescribed:

Provided that no appeal shall lie against any order made by the Central Government.

(2) No appeal shall be admitted if it is preferred after the expiry of the period prescribed therefor:

Provided that an appeal may be admitted after the expiry of the period prescribed therefor if the appellant satisfied the appellate authority that he had sufficient cause for not preferring the appeal within that period.

(3) The period prescribed for an appeal shall be computed in 36 of 1963. accordance with the provisions of the Limitation Act, 1963, with respect to the computation of the periods of limitation thereunder.

IndiaCode

(4) Every appeal under this section shall be made by a petition in writing and shall be accompanied by a copy of the statement of the reasons for the order appealed against where such copy has been furnished to the appellant and by such fee (if any) not exceeding rupees twenty-five as may be prescribed.

(5) In disposing of an appeal, the appellate authority shall follow such procedure as may be prescribed:

Provided that no appeal shall be disposed of unless the appellant has been given a reasonable opportunity of representing his case.

(6) Every order of the appellate authority confirming, modifying or reversing the order appealed against shall be final.

Offences and penalties.

12. (1) Whoever—

(a) contravenes the provisions of section 3; or

(b) knowingly furnishes any false information or suppresses any material information with a view to obtaining a passport or a travel document under this Ordinance or alters or attempts to alter or causes to alter the entries made in a passport or a travel document issued under this Ordinance; or

(c) fails to produce for inspection his passport or travel document (whether issued under this Ordinance or not) when called upon to do so by the prescribed authority; or

(d) knowingly uses a passport or a travel document issued to another person; or

(e) knowingly allows another person to use a passport or a travel document issued to him,

shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to six months or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

(2) Whoever abets any offence punishable under sub-section (1) shall, if the act abetted is committed in consequence of the abetment, be punishable with the punishment provided in that sub-section for that offence.

(3) Whoever contravenes any condition of a passport or a travel document or any provision of this Ordinance or any rule made thereunder for which no punishment is provided elsewhere in this Ordinance shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to five hundred rupees or with both.

(4) Whoever, having been convicted of an offence under this Ordinance, is again convicted of an offence under this Ordinance shall be punishable with double the penalty provided for the latter offence.

Power to arrest

13. (1) Any officer of customs empowered by a general or special order of the Central Government in this behalf and any officer of police not below the rank of a sub-inspector may arrest without warrant any person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any offence punishable under section 12 and shall, as soon as may be, inform him of the grounds for such arrest.

(2) Every officer making an arrest under this section shall, without unnecessary delay, take or send the person arrested before a magistrate having jurisdiction in the case or to the officer in charge of the nearest police station and the provisions of section 61 of the 5 of 1898 Code of Criminal Procedure, 1898 shall, so far as may be, apply in the case of any such arrest.

Power of search and seizure

14. (1) Any officer of customs empowered by a general or special order of the Central Government in this behalf and any officer of police not below the rank of a sub-inspector may search any place and seize any passport or travel document from any person against whom a reasonable suspicion exists that he has committed any offence punishable under section 12.

5 of 1898 (2) The provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898, relating to searches and seizures shall, so far as may be, apply to searches and seizures under this section.

Previous sanction of Central Government necessary.

15. No prosecution shall be instituted against any person in respect of any offence under this Ordinance without the previous sanction of the Central Government or such officer or authority as may be authorized by that Government by order in writing in this behalf.

Protection of action taken in good faith

16. No suit, prosecution or other legal proceeding shall lie against the Government or any officer or authority for anything which is in good faith done or intended to be done under this Ordinance.

Passports and travel documents to be property of Central Government.

17. A passport or travel document issued under this Ordinance shall at all times remain the property of the Central Government.

IndiaCode

Passports and travel documents to be invalid for travel to certain countries.

18. Upon the issue of a notification by the Central Government that a foreign country is—

(a) a country which is committing external aggression against India; or

(b) a country assisting the country committing external aggression against India; or

(c) a country where armed hostilities are in progress; or

(d) a country to which travel must be restricted in the public interest because such travel would seriously impair the conduct of foreign affairs of the Government of India,

a passport or travel document issued under this Ordinance for travel through or visiting such country shall cease to be valid for such travel or visit unless in any case a special endorsement in that behalf is made in the prescribed form by the prescribed authority.

Issue of passports and travel documents to persons who are not citizens of India.

19. Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions relating to issue of a passport or a travel document, the Central Government may issue, or cause to be issued, a passport or a travel document to a person who is not a citizen of India if that Government is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest.

Power to delegate.

20. The Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any power or function which may be exercised or performed by it under this Ordinance other than the power under clause (d) of sub-section (1) of section 6 or the power under clause (i) of sub-section (2) of that section or the power under section 23, may, in relation to such matters and subject to such conditions, if any, as it may specify in the notification, be exercised or performed by—

(a) such officer or authority subordinate to the Government; or

(b) in any foreign country in which there is no diplomatic mission of India by such foreign Consular Officer,

as may be specified in the notification.

Power to exempt.

21. Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient in the public interest so to do, it may, by notification in the Official Gazette and subject to such conditions, if any, as it may specify in the notification,—

(a) exempt any person or class of persons from the operation of all or any of the provisions of this Ordinance or the rules made thereunder; and

(b) as often as may be, cancel any such notification and again subject, by a like notification, the person or class of persons to the operation of such provisions.

Ordinance to be in addition to certain enactments.

22. The provisions of this Ordinance shall be in addition to and not in derogation of the provisions of the Passport (Entry into India) Act, 1920, the Registration of Foreigners Act, 1939, the Foreigners Act, 1946, the Foreign Exchange Regulation Act, 1947, the Trading with the Enemy (Continuance of Emergency Provisions) Act, 1947, the Foreigners Law (Application and Amendment) Act, 1962, and other enactments relating to foreigners and foreign exchange.

Power to make rules.

23. (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) the appointment, jurisdiction, control and functions of passport authorities;

(b) the classes of persons to whom passports and travel documents referred to respectively in sub-section (1) and sub-section (2) of section 4 may be issued;

(c) the form and particulars of application for the issue or renewal of a passport or travel document or for endorsement on a passport or a travel document and where the application is for the renewal, the time within which it shall be made;

(d) the period for which passports and travel documents shall continue in force;

(e) the form in which and the conditions subject to which the different classes of passports and travel documents may be issued, renewed, varied, impounded or revoked;

(f) the fees payable in respect of any application for the issue or renewal of a passport or travel document or for varying any endorsement or making a fresh endorsement on a passport or a travel document or for issue of a duplicate passport or travel document and the fees payable in respect of any appeal under this Ordinance;

(g) the appointment of appellate authorities under sub-section (1) of section 11, the jurisdiction of, and the procedure which may be followed by, such appellate authorities;

(*h*) any other matter which is to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this Ordinance shall be laid as soon as may be after it is made, before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the session immediately following, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

Change of short title of Act 34 of 1920

24. In the Indian Passport Act, 1920, in sub-section (*1*) of section 1, for the words and figures "the Indian Passport Act, 1920", the words, brackets and figures "the passport (Entry into India) Act, 1920" shall be substituted.

Saving

25. Every passport and every travel document issued by or under the authority of the Central Government before the commencement of this Ordinance and in force immediately before such commencement shall be deemed to have been issued under this Ordinance and shall subject to the provisions of this Ordinance, continue in force—

(*a*) for the unexpired portion of the period for which such passport or travel document had been issued; or

(*b*) for a period of five years from the commencement of this Ordinance,

whichever is shorter.

S. RADHAKRISHNAN,
President.

S. P. SEN-VARMA,
Secy. to the Govt. of India.

PRINTED IN INDIA BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1967

भारत का राजपत्र

असाधारण

भाग-II खंड-I

विधि मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 5 मई, 1967

पासपोर्ट अध्यादेश, 1967

1967 की संख्या. 4

	राष्ट्रपति द्वारा भारतीय गणतंत्र के अठारवें वर्ष में प्रख्यापित किया गया।	
	पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज़ जारी करने की व्यवस्था करने के लिए, भारत के नागरिकों और अन्य व्यक्तियों तथा उनसे संबंधित प्रासंगिक अथवा आनुषंगिक मामलों के लिए अध्यादेश।	*पासपोर्टों तथा यात्रा दस्तावेज़ों की समयावधि*
	जबकि संसद का सत्र नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हैं कि ऐसी परिस्थितियां मौजूद हैं जो उनके लिए तत्काल कार्रवाई को आवश्यक बनाती हैं।	
	अतः अब संविधान के अनुच्छेद 123 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित अध्यादेश को सहर्ष प्रख्यापित करते हैं:-	
लघु शीर्षक, सीमा और प्रवर्तन	1. (1) इस अध्यादेश को पासपोर्ट अध्यादेश, 1967 कहा जाएगा।	
	(2) यह पूरे भारत में लागू होगा।	
परिभाषाएं	(3) यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा।	
	2. इस अध्यादेश में, जब तक की संदर्भ द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो,-	
	(क) "प्रस्थान" और उसके व्याकरणिक रूपांतरों और सजातीय अभिव्यक्तियों से अभिप्रेत भारत से जलमार्ग, भू-मार्ग अथवा वायु मार्ग से प्रस्थान करना है;	*पासपोर्टों का नवीक*

IndiaCode

रण

(ख) "पासपोर्ट" से अभिप्रेत इस अध्यादेश के अंतर्गत जारी किया गया पासपोर्ट है।

स्पष्टीकरण.- धारा 3 के प्रयोजनार्थ, "पासपोर्ट" में जो किसी देश की सरकार के प्राधिकारी द्वारा अथवा उसके अंतर्गत जारी किया गया कोई पासपोर्ट शामिल है, जो अपनी पासपोर्ट श्रेणी के संबंध में पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 (1920 का 34) के अंतर्गत विहित शर्तों को पूरा करता है;

पासपोर्ट तथा यात्रा दस्तावेज़ों की शर्तें तथा प्रपत्र

(ग) "पासपोर्ट प्राधिकारी" से अभिप्रेत पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ जारी करने के लिए इस अध्यादेश के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत अधिकार प्राप्त किसी अधिकारी अथवा प्राधिकारी से है और इसमें केंद्रीय सरकार शामिल है;

(घ) "निर्धारित" से अभिप्रेत इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित है;

(ङ) "यात्रा दस्तावेज़" से अभिप्रेत धारा 4 की उपधारा (2) में उल्लिखित किसी प्रमाण-पत्र से है।

स्पष्टीकरण.- धारा 3 के प्रयोजनार्थ, "यात्रा दस्तावेज़" में जो किसी देश की सरकार के प्राधिकारी द्वारा अथवा उसके अंतर्गत जारी किया गयाकोई प्रमाण-पत्र शामिल है, जो निर्धारित शर्तों को पूरा करता है।

IndiaCode

3. कोई भी व्यक्ति भारत से प्रस्थान नहीं करेगा अथवा प्रस्थान का प्रयास नहीं करेगा जब तक कि उसके पास इसके लिए कोई पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ न हो।

भारत से प्रस्थान के लिए पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़

4. (1) इस अध्यादेश के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के पासपोर्ट जारी किए जा सकते हैं, नामतः-

पासपोर्ट तथा यात्रा दस्तावेज़ की श्रेणियां

(क) साधारण पासपोर्ट;

(ख) आधिकारिक पासपोर्ट;

(ग) राजनयिक पासपोर्ट।

(2) इस अध्यादेश के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के यात्रा दस्तावेज़ जारी किए जा सकते हैं, नामतः-

(क) भारत में प्रवेश करने के लिए किसी व्यक्ति को प्राधिकार देने वाला आपातकालीन प्रमाण-पत्र;

(ख) किसी व्यक्ति की पहचान को स्थापित करने के प्रयोजनार्थ पहचान प्रमाण-पत्र;

(ग) यथानिर्धारित ऐसा कोई अन्य प्रमाण-पत्र

(3) केंद्रीय सरकार इस प्रयोजनार्थ अनुपालन किए जाने वाले प्रचलन तथा पद्धति के अनुरूप उन व्यक्तियों की श्रेणी निर्धारित करेगी जिन्हें इस अधिनियम के अंतर्गत क्रमशः उपधारा (1) और उपधारा (2) में उल्लिखित श्रेणियों के पासपोर्ट तथा यात्रा दस्तावेज़ जारी किए जा सकते हैं।

IndiaCode

5. (1) इस अध्यादेश के अंतर्गत कोई पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ जारी करने के लिए, अथवा ऐसे पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ पर पृष्ठांकन करने के लिए, आवेदन में यथा-विनिर्दिष्ट किसी देश अथवा देशों की यात्रा करने के लिए पासपोर्ट प्राधिकारी को आवेदन दिया जा सकता है और यह आवेदन निर्धारत प्रपत्र पर होगा और उसमें निर्धारित विवरण दिए जाएंगे तथा उसके साथ निर्धारित शुल्क (यदि कोई हो) देना होगा, जो 25 रुपए से अधिक नहीं होगा।

पासपोर्ट तथा यात्रा दस्तावेज़ जारी करना

(2) आवेदन प्राप्त होने पर, पासपोर्ट प्राधिकारी आवश्यक समझी जाने वाली जांच, यदि कोई हो, करने के उपरांत इस अध्यादेश के अन्य प्रावधानों के अध्यधीन लिखित आदेश द्वारा,-

(क) आवेदन में विनिर्दिष्ट देश अथवा देशों के संबंध में पृष्ठांकन के साथ पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ जारी करेगा, अथवा, जैसा भी मामला हो, पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ पर पृष्ठांकन करेगा; अथवा

(ख) आवेदन में विनिर्दिष्ट एक अथवा अधिक देशों के संबंध में पृष्ठांकन के साथ पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ जारी करेगा, अथवा, जैसा भी मामला हो, पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ पर पृष्ठांकन करेगा और अन्य देश अथवा देशों के संबंध में पृष्ठांकन करने से इंकार करेगा; अथवा

(ग) पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ जारी करने से इंकार करेगा।

पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज़ आदि से इनकार

(3) जहां पासपोर्ट प्राधिकारी किसी व्यक्ति के आवेदन पर उपधारा (2) के खंड (ख) अथवा खंड (ग) के अंतर्गत कोई आदेश देता है, तो वह ऐसा आदेश देने के लिए इसके कारणों का एक संक्षिप्त विवरण लिखित रूप में रिकार्ड करेगा और उस व्यक्ति को उसके मांगने पर उस आदेश की एक प्रति देगा जब तक कि किसी मामले में पासपोर्ट प्राधिकारी का यह मत न हो कि ऐसी प्रति देन भारत की संप्रभुता तथा अखंडता, भारत की सुरक्षा, किसी देश के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा आम जनता के हित में नहीं होगा।

IndiaCode

6 (1) इस अध्यादेश के अन्य उपबंधों के अध्यधीन पासपोर्ट प्राधिकारी धारा 5 की उपधारा (2) के खंड (ख) के तहत निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एकाधिक आधार पर, अन्य किसी आधार पर नहीं, किसी देश की यात्रा के लिए अनुमति प्रदान करने से इनकार कर सकेगा अर्थात्:-

(क) कि आवेदक ऐसे किसी देश में इस प्रकार के कार्यकलाप से जुड़ सकता है अथवा उसके जुड़ने की संभावना है जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के प्रतिकूल हो;

(ख) कि आवेदक के उस देश में रहने से भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है अथवा खतरा होने की संभावना है;

(ग) कि इस प्रकार के देश में आवेदक की उपस्थिति से भारत के किसी विदेशी राष्ट्र के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है अथवा पड़ने की संभावना है;

(घ) कि केंद्र सरकार के विचार से ऐसे देश में आवेदक की उपस्थिति जनहित में नहीं है;

(2) इस अध्यादेश के अन्य उपबंधों के अध्यधीन पासपोर्ट प्राधिकारी धारा 5 की

उपधारा (2) के खंड (ख) के तहत निम्नलिखित में से किसी एक अथवा एकाधिक आधार पर, अन्य किसी आधार पर नहीं, किसी देश की यात्रा के लिए अनुमति प्रदान करने से इनकार कर सकेगा अर्थात्:-

(क) कि आवेदक भारत का नागरिक नहीं है;

(ख) कि आवेदक भारत के बाहर इस प्रकार के कार्यकलाप से जुड़ सकता है अथवा उसके जुड़ने की संभावना है जो भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के प्रतिकूल हो;

(ग) कि आवेदक के भारत से बाहर जाने से भारत की सुरक्षा को खतरा हो सकता है अथवा खतरा होने की संभावना है;

(घ) कि आवेदक के भारत से बाहर रहने से किसी विदेशी राष्ट्र के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है अथवा पड़ने की संभावना है;

(ङ) कि आवेदक द्वारा आवेदन किए जाने की तिथि से पिछले 5 वर्ष की अवधि के दौरान भारत में किसी भी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए उसे दोषसिद्ध किया गया हो तथा कम से कम 2 वर्ष के लिए सजा दी गई हो;

(च) कि आवेदक द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में भारत में किसी न्यायालय में मामला लंबित हो;

(छ) कि आवेदक के पास भारत से बाहर एक भारतीय नागरिक के रूप में अपनी प्रतिष्ठा एवं अपने आत्मसम्मान के अनुरूप अपनी मदद करने का कोई जरिया नहीं है;

पासपोर्टों तथा यात्रा दस्तावेज़ों की समयावधि

(ज) कि आवेदक को प्रत्यावर्तित कर दिया गया है और उसने इस प्रकार के प्रत्यावर्तन से संबंधित व्यय की प्रतिपूर्ति नहीं की है;

(झ) कि केंद्र सरकार के विचार से आवेदक को पासपोर्ट जारी करना जनहित में नहीं है;

7. (क) धारा 5 के तहत जारी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़, जब तक कि पहले रद्द न किया गया हो, यथानिर्धारित अवधि तक जारी रहेंगे और अलग-अलग श्रेणी के पासपोर्टों तथा यात्रा दस्तावेज़ों के लिए अलग-अलग समयावधि निर्धारित की जा सकती है:

परन्तु पासपोर्ट अथवा कोई यात्रा दस्तावेज़ निर्धारित अवधि की तुलना में कम अवधि हेतु जारी किया जा सकता है-

पासपोर्टों

(क) यदि वह व्यक्ति ऐसा चाहे जिसके लिए यह अपेक्षित है; अथवा

(ख) यदि पासपोर्ट प्राधिकारी, आवेदक को लिखित में सूचित कारणों से ऐसा समझता हो कि पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ अल्पावधि के लिए जारी किया जाना चाहिए।

का नवीकरण

8. किसी भी मामले में जब पासपोर्ट प्राधिकारी लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों से अन्यथा यह निर्धारित करे कि प्रत्येक पासपोर्ट को उतनी ही अवधि के लिए नवीकृत किया जाएगा जितनी अवधि के लिए पहले जारी किया गया था और यह समय-समय पर ऐसे ही नवीकृत किया जाता रहेगा और पासपोर्ट नवीकरण के समय इस अध्यादेश के प्रावधान (शुल्क से संबंधित प्रावधानों सहित) वैसे ही लागू होंगे जैसा कि पासपोर्ट जारी करते समय लागू थे।

पासपोर्ट तथा यात्रा दस्तावेज़ों की शर्तें तथा प्रपत्र

9. किसी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ जारी करने अथवा उन्हें नवीकृत करने से संबंधित शर्तें तथा प्रपत्र वैसे ही होंगे जैसा कि निर्धारित किया जाए:

अलग-अलग श्रेणियों के पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ों के लिए अलग-अलग शर्तें तथा अलग-अलग प्रपत्र निर्धारित किए जा सकते हैं;

यह भी कि पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ में निर्धारित शर्तों के अलावा अन्य ऐसी शर्तें भी शामिल की जा सकती हैं जैसा कि पासपोर्ट प्राधिकारी किसी विशेष मामले में केंद्र सरकार के पूर्व अनुमोदन से निर्धारित करे।

10 (1) पासपोर्ट प्राधिकारी किसी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ पर पृष्ठांकन को परिवर्तित अथवा रद्द कर सकता है अथवा केंद्र सरकार की पूर्व अनुमति से उन शर्तों (निर्धारित शर्तों को छोड़कर) में फेरबदल अथवा रद्द कर सकता है जिनके अध्यधीन पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ जारी किए गए हों और इस प्रयोजनार्थ उस पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ के धारक को लिखित नोटिस जारी करके नोटिस में निर्धारित समय-सीमा के भीतर पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ लौटाने का निर्देश दे सकता है।

IndiaCode

पासपोर्टों तथा यात्रा दस्तावेज़ों में फेरबदल, जब्त किया जाना तथा रद्द किया जाना

(2) पासपोर्ट प्राधिकारी किसी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ धारक के आवेदन पर पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ की शर्तों (निर्धारित शर्तों को छोड़कर) को परिवर्तित अथवा रद्द कर सकता है।

(3) पासपोर्ट प्राधिकारी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ को जब्त कर सकता है अथवा करवा सकता है अथवा रद्द कर सकता है-

(क) यदि पासपोर्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि धारक ने गलत तरीके से पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ रखा हुआ है;

(ख) यदि पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ पासपोर्टधारक द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा जानकारी छुपाकर अथवा गलत जानकारी के आधार पर प्राप्त किया गया है;

(ग) यदि पासपोर्ट प्राधिकारी भारत की संप्रभुता एवं अखंडता के हित में, भारत की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा आम जनता के हित में ऐसा करना आवश्यक समझे;

(घ) यदि पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया हो;

(ङ) यदि पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ धारक द्वारा उपधारा (1) के तहत पासपोर्ट लौटाने संबंधी नोटिस की अनुपालना न की गई हो;

(च) यदि पासपोर्ट प्राधिकारी के ध्यान में यह बात लाई गई हो कि पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ धारक को उस समय लागू किसी कानून के तहत किसी न्यायालय द्वारा उपस्थित होने के लिए वारंट अथवा समन जारी किया गया है अथवा गिरफ्तारी हेतु वारंट जारी किया गया है अथवा इस प्रकार के न्यायालय द्वारा पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ धारक को भारत से बाहर जाने पर रोक लगाने के बाबत कोई आदेश जारी किया गया है और पासपोर्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हो कि इस प्रकार के वारंट अथवा समन जारी किए गए हैं अथवा कोई आदेश पारित किया गया है।

(4) पासपोर्ट प्राधिकारी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़धारक के आवेदन पर भी इन्हें रद्द कर सकता है।

IndiaCode

(5) यदि पासपोर्ट प्राधिकारी उपधारा (1) के तहत पृष्ठांकनों में फेरबदल करता है अथवा इन्हें रद्द करता है अथवा पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ों में उल्लिखित शर्तों में फेरबदल करता है अथवा उपधारा (3) के तहत पासपोर्ट जब्त अथवा रद्द करता है तो वह इस प्रकार के आदेश देने संबंधी कारणों का एक लिखित विवरण दर्ज करेगा और मांगे जाने पर पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ धारक को इसकी एक प्रति उपलब्ध कराएगा, बशर्ते कि किसी मामला विशेष में पासपोर्ट प्राधिकारी का यह विचार हो कि इस प्रकार की प्रति का सौंपा जाना भारत की संप्रभुता एवं अखंडता, भारत की सुरक्षा, अन्य देशों के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों अथवा आम जनता के हित में नहीं है।

(6) ऐसा प्राधिकारी, पासपोर्ट प्राधिकारी जिसका अधीनस्थ हो, एक लिखित आदेश के जरिए पासपोर्ट प्राधिकारी द्वारा जब्त किए जाने अथवा रद्द किए जाने के किसी भी आधार पर पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ को रद्द कर सकता है अथवा जब्त या रद्द करने के लिए कह सकता है और ऐसे प्राधिकारी द्वारा पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ को जब्त करने या रद्द करने के संबंध में, जहां तक हो सके, इस धारा के पूर्वगामी प्रावधान लागू होंगे।

(7) इस अध्यादेश या इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत किसी अपराध के लिए पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ धारक को दोष सिद्ध करने वाली अदालत भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ को रद्द कर सकती है।

परंतु यदि किसी अपील या अन्यथा द्वारा दोष सिद्धि को खारिज कर दिया गया हो तो यह रद्दीकरण अमान्य हो जाएगा।

(8) उप-धारा (7) के तहत निरस्तीकरण का आदेश संशोधन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलीय अदालत या उच्च न्यायालय द्वारा भी जारी किया जा सकता है।

(9) इस धारा के तहत पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ रद्द होने पर धारक, बिना किसी देरी के, पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ को उस प्राधिकारी को जिसके द्वारा इसे रद्द किया गया है या ऐसे किसी प्राधिकारी को जिसका निरस्तीकरण के आदेश में इस संबंध में उल्लेख किया गया हो, को अभ्यर्पित करेगा, यदि यह पहले से जब्त न किए गए हों।

अपील

11 (1) कोई व्यक्ति जो धारा 5 की उप-धारा (2) के खंड (ख) या खंड (ग) अथवा धारा 7

IndiaCode

के परंतुक के खंड (ख) अथवा धारा 10 की उप-धारा (1) या उप-धारा (3) के तहत पासपोर्ट प्राधिकारी के आदेश द्वारा अथवा धारा 10 की उपधारा (6) के तहत ऐसे प्राधिकारी, पासपोर्ट प्राधिकारी जिसका अधीनस्थ हो, किसी आदेश से पीडित हो, तो वह ऐसे आदेश के विरुद्ध ऐसे प्राधिकारी (जिसको इसके बाद अपील प्राधिकारी कहा गया है) को और निर्धारित समय-सीमा में अपील दायर कर सकता है।

परंतु कोई अपील केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए किसी आदेश के विरुद्ध नहीं होगी।

(2) निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति के पश्चात कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

परंतु निर्धारित समय-सीमा की समाप्ति के पश्चात किसी अपील को स्वीकार किया जा सकता है, यदि अपीलार्थी, अपील प्राधिकारी को इस बात से संतुष्ट कर दे कि उसके पास निर्धारित अवधि में अपील दायर न कर पाने के पर्याप्त कारण हैं।

(3) अपील दायर करने के लिए निर्धारित समय-सीमा की गणना परिसीमन अधिनियम, 1963 के तहत परिसीमन की अवधियों की गणना से संबंधित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी।

(4) इस धारा के तहत प्रत्येक अपील एक लिखित याचिका द्वारा प्रस्तुत की जाएगी और इसके साथ आदेश के विरुद्ध अपील किए जाने के कारणों के विवरण की एक प्रति, जहां अपीलार्थी को ऐसी प्रति उपलब्ध करायी गई हैं, और ऐसा यथा-निर्धारित शुल्क (यदि कोई हो) जो पच्चीस रुपए से अधिक न हो, संलग्न करना होगा।

(5) अपील का निपटान करने में अपील प्राधिकारी यथा-निर्धारित प्रक्रिया का पालन करेंगे:

परंतु किसी भी अपील का निपटान अपीलार्थी को अपने मामले का प्रतिनिधित्व करने का उचित अवसर दिए बिना नहीं किया जाएगा।

अपराध और दंड

(6) जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उस आदेश की पुष्टि, संशोधन या उसे बदलने संबंधी अपील प्राधिकारी का प्रत्येक आदेश अंतिम होगा।

12. (1) जो भी-

IndiaCode

(क) धारा 3 के प्रावधानों का उल्लंघन करता है; या

(ख) इस अध्यादेश के तहत पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ प्राप्त करने की दृष्टि से जानबूझकर कोई झूठी जानकारी प्रस्तुत करता है या किसी महत्वपूर्ण सूचना को दबा देता है अथवा इस अध्यादेश के तहत जारी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ में प्रविष्टियों को बदलता है या बदलने का प्रयास करता है या बदलवाता है; या

(ग) निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए मांगे जाने पर अपने पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ (चाहे इस अध्यादेश के तहत जारी किए गए हों या नहीं) प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(घ) किसी अन्य व्यक्ति को जारी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ का जानबूझकर उपयोग करता है; या

(ङ) उसको जारी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ को जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को उपयोग करने की अनुमति देता है,

IndiaCode

को छह माह तक का कारावास या दो हजार रुपए तक का जुर्माना, या दोनों का दंड दिया जा सकेगा।

(2) जो भी उप-धारा (1) के तहत दंडनीय अपराध के लिए उकसाता है, और यदि उकसाया गया कृत्य उकसावे के बाद किया गया हो, तो उसे उस अपराध के लिए उप-धारा में उल्लिखित दंड अनुसार दंडित किया जाएगा।

गिरफ्तार करने की शक्ति

(3) जो भी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ की किसी शर्त या इस अध्यादेश या इसके तहत बनाए गए किसी नियम के किसी ऐसे प्रावधान का उल्लंघन करता है, जिसके लिए अध्यादेश में कहीं पर किसी भी सजा का प्रावधान नहीं है तो उसे तीन माह तक का कारावास अथवा पांच सौ रुपए तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

(4) इस अध्यादेश के तहत किसी भी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को इस अध्यादेश के तहत दोबारा दोष सिद्ध होने पर बाद वाले अपराध के लिए निर्धारित दंड से दुगुनी सजा दी जाएगी।

13. (1) इस संबंध में केंद्र सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्राप्त सीमा-शुल्क का कोई अधिकारी और कम-से-कम उप-निरीक्षक रैंक का कोई पुलिस अधिकारी ऐसे किसी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते हैं जिसके विरुद्ध तर्कसंगत संदेह हो कि उसने धारा 12 के तहत कोई दंडनीय अपराध किया है, और ये अधिकारी उसे यथाशीघ्र ऐसी गिरफ्तारी के कारणों के विषय में सूचित करेंगे।

तलाशी और जब्ती की शक्ति

(2) इस धारा के तहत गिरफ्तारी करने वाले प्रत्येक अधिकारी, बिना किसी देरी के, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस मामले में क्षेत्राधिकार रखने वाले मजिस्ट्रेट अथवा नजदीकी पुलिस थाने के प्रभारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे और ऐसी गिरफ्तारी के मामले में, जहां तक हो सके, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 61 के प्रावधान लागू होंगे।

केंद्र सरकार की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है

14. (1) इस संबंध में केंद्र सरकार के किसी सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा शक्ति प्राप्त सीमा-शुल्क का कोई अधिकारी और कम-से-कम उप-निरीक्षक रैंक का कोई पुलिस अधिकारी किसी स्थान की तलाशी ले सकते हैं और ऐसे किसी व्यक्ति से पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ जब्त कर सकते हैं जिसके विरुद्ध तर्कसंगत संदेह हो कि उसने धारा 12 के तहत कोई दंडनीय अपराध किया है।

(2) इस धारा के तहत तलाशी और जब्ती के लिए, जहां तक हो सके, तलाशी और जब्ती से संबंधित आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1898 के प्रावधान लागू होंगे।

सद्भावना में की गई कार्रवाई की अभिरक्षा

15. इस अध्यादेश के तहत किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन केंद्र सरकार या इस संबंध में सरकार द्वारा लिखित में जारी आदेश द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना शुरू नहीं किया जा सकेगा।

पासपोर्ट और यात्रा दस्तावेज़ केंद्र सरकार की संपत्ति होंगे

16. इस अध्यादेश के तहत सद्भावना में किए गए अथवा किसी इच्छित कार्य के लिए कोई मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही सरकार या उसके किसी अधिकारी या प्राधिकारी के विरुद्ध नहीं होगी।

कुछ देशों की यात्रा हेतु

17. इस अध्यादेश के तहत जारी पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज़ हर समय केंद्र सरकार की संपत्ति होंगे।

IndiaCode

पासपोर्ट तथा यात्रा दस्तावेज़ अमान्य होंगे

18. केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचना जारी किए जाने पर कि कोई देश, विदेश कहलाएगा ----

(क) जो भारत के विरुद्ध बाहर से आक्रामक कार्रवाई कर रहा हो; अथवा

(ख) जो भारत के विरुद्ध बाहर से आक्रामक कार्रवाई कर रहे देश को सहायता कर रहा हो; अथवा

(ग) जहाँ सशस्त्र संघर्ष चल रहा हो; अथवा

(घ) जहाँ यात्रा करने पर लोक हित में प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि ऐसी यात्रा भारत सरकार के विदेश मामलों के संचालन को गंभीर क्षति पहुंचाएगी।

ऐसे व्यक्तियों को पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ जारी करना जो भारत के नागरिक नहीं हैं।

ऐसे देश से होकर अथवा की यात्रा करने के लिए इस अध्यादेश के तहत जारी पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ को ऐसी यात्रा अथवा दौरे के लिए वैध नहीं रहेगा जब तक कि किसी मामले में निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में इस संदर्भ में कोई विशेष पृष्ठांकन न किया गया हो।

प्रत्यायोजन की शक्ति

19. पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ जारी करने संबंधी पूर्ववर्ती प्रावधानों में उल्लिखित किसी भी बात के बावजूद केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति को पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ जारी कर सकती है अथवा जारी करा सकती है जो भारत का नागरिक नहीं है यदि सरकार का यह मत है कि ऐसा करना लोक हित में आवश्यक है।

20. केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्देशित कर सकती है कि ऐसे मामलों के संबंध में तथा ऐसी शर्तें, यदि कोई हो, के अध्यधीन, उसके द्वारा धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (घ) अथवा उस धारा की उप-धारा (2) के खंड (1) अथवा धारा 23 के तहत प्रदत्त शक्तियों के अलावा इस अध्यादेश के तहत प्रयोग की जाने वाली कोई शक्ति या निष्पादित किया जाने वाला कोई कार्य, जैसा

IndiaCode

छूट प्रदान करने की शक्ति

कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट कर सकती है, को निम्नलिखित द्वारा प्रयोग अथवा निष्पादित किया जाएगा –

(क) सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी अथवा प्राधिकारी; अथवा

(ख) ऐसे किसी देश में जहाँ भारत का राजनयिक मिशन न हो, वहाँ किसी विदेशी कोंसुली अधिकारी द्वारा;

जैसा कि अधिसूचना में उल्लेख किया गया हो।

अध्यादेश का कतिपय अधिनियमितियों के अतिरिक्त होना

21. जहाँ केंद्र सरकार का मत हो कि ऐसा किया जाना लोक हित में आवश्यक अथवा वांछनीय है, वह शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा तथा ऐसी शर्तों, यदि कोई हो, जैसा कि वह अधिसूचना में निर्दिष्ट करे, के अध्यधीन ---

(क) इस अध्यादेश के सभी अथवा किसी भी प्रावधानों अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों से किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की श्रेणी को छूट प्रदान कर सकती है; और

1920 का 34
1939 का 16
1947 का 7
1947 का 16
1962 का 12

(ख) प्रायः ऐसी किसी अधिसूचना को रद्द कर सकती है और ऐसी किसी समान अधिसूचना द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की श्रेणी को ऐसे प्रावधानों के अध्यधीन ला सकती है।

22. इस अध्यादेश के प्रावधान, पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920, विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम 1939, विदेशी अधिनियम, 1946, विदेशी विनिमय विनियमन अधिनियम 1947, शत्रुओं के साथ व्यापार (आपातकालीन प्रावधानों की निरंतरता) अधिनियम 1947, विदेशी कानून (अनुप्रयोग एवं संशोधन) अधिनियम 1962, तथा विदेशियों और विदेशी विनिमय संबंधी अन्य अधिनियमतों के अतिरिक्त होंगे और उनका अनादर नहीं करेंगे।

23. (1) केंद्रीय सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से इस अध्यादेश के प्रयोजन को पूरा करने के लिए कानून बना सकती है।

(2) विशेष रूप से, तथा पूर्ववर्ती शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले

IndiaCode

बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी अथवा किन्हीं मामलों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं, अर्थातः-

(क) पासपोर्ट प्राधिकारियों की नियुक्ति, क्षेत्राधिकार, नियंत्रण तथा कार्य;

(ख) व्यक्तियों की श्रेणी जिन्हें धारा 4 की क्रमशः उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) में उल्लिखित अनुसार पासपोर्ट तथा यात्रा दस्तावेज़ जारी किए जा सकते हैं;

(ग) पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ के जारी करने अथवा नवीकरण अथवा पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ पर पृष्ठांकन हेतु आवेदन के प्रपत्र तथा ब्यौरे और जहाँ आवेदन नवीकरण के लिए हो तो समय सीमा जिसके भीतर यह बना दिया जाएगा;

(घ) पासपोर्ट तथा यात्रा दस्तावेज़ों के लागू रहने की अवधि;

(ङ) प्रपत्र जिसमें तथा शर्तें जिसके अध्यधीन विभिन्न श्रेणियों के पासपोर्ट तथा यात्रा दस्तावेज़ों को जारी, नवीकृत, परिवर्तित, जब्त अथवा निरस्त किया जा सकता है;

(च) पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ जारी करने अथवा नवीकरण अथवा पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ पर किसी पृष्ठांकन में परिवर्तन करने अथवा नया पृष्ठांकन करने अथवा डुप्लीकेट पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ जारी करने हेतु किसी आवेदन के संबंध में देय शुल्क अथवा इस अध्यादेश के तहत किसी अपील के संबंध में देय शुल्क;

(छ) धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत अपील प्राधिकारी की नियुक्ति, ऐसे अपील प्राधिकारी का क्षेत्राधिकार तथा उसके द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य प्रक्रिया;

(ज) कोई अन्य मामला जो निर्धारित किया जाना हो अथवा किया जा सकता हो।

1920 के अधिनियम 34 के लघु शीर्षक में परिवर्तन

(3) इस अध्यादेश के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा जब कुल तीस दिनों की अवधि के लिए उसका सत्र चल रहा हो जो एक सत्र अथवा दो लगातार सत्रों में समाहित हो सकती है तथा यदि उसको रखे जाने वाले सत्र की समाप्ति के पूर्व अथवा उसके तत्काल बाद के सत्र में दोनों सदन नियमों में कोई परिवर्तन करने पर सहमत होते हैं अथवा दोनों सदन नियम न बनाने पर सहमत होते हैं, तो वह

बचत

India Code

नियम तदुपरांत ऐसे संशोधित रूप में प्रभावी होगा अथवा निष्प्रभावी होगा, जैसा भी मामला हो, इस प्रकार, ऐसा संशोधन अथवा निराकरण उस नियम के तहत पूर्व में किए गए किसी कार्य की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किया जाएगा।

24. भारतीय पासपोर्ट अधिनियम 1920 में धारा – 1 की उप-धारा (1) में शब्द तथा आंकड़े "भारतीय पासपोर्ट अधिनिमय 1920" के स्थान पर शब्द, ब्रेकेट तथा आंकड़े "पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम 1920" प्रतिस्थापित किया जाएगा।

25. इस अध्यादेश के आरंभ होने के पूर्व तथा ऐसी संप्रवर्तन के तत्काल पूर्व केंद्र सरकार के प्राधिकरण द्वारा अथवा उसके तहत जारी प्रत्येक पासपोर्ट तथा प्रत्येक यात्रा दस्तावेज़ को इस अध्यादेश के तहत जारी किया गया माना जाएगा और इस अध्यादेश के प्रावधानों के अध्यधीन जारी रहेगा –

(क) जिस अवधि तक के लिए पासपोर्ट अथवा यात्रा दस्तावेज़ जारी किया गया था उसकी शेष अवधि के लिए; अथवा

(ख) इस अध्यादेश के संप्रवर्तन से पाँच वर्षों की अवधि के लिए;

जो भी कम हो।

एस. राधाकृष्णन
अध्यक्ष

एस.पी. सेन-वर्मा
भारत सरकार के सचिव

IndiaCode